WM-VI (2023-24) G- 183 05/01/24

पत्र सं०– कोप्र० / विविध–05 / 2021 11395 /

बिहार सरकार
वित्त विभाग

प्रेषक,

अजय कुमार ठाकुर,
संयुक्त आयुक्त ।

सेवा में,

उप महालेखाकार(कार्य),
महालेखाकार(ले0 एवं ह0) कार्यालय,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक– 26-12-2023

विषयः– **CFMS Module में लेखांकन प्रक्रिया सुदृढ़ करने के संबंध में।**

प्रसंगः– आपका पत्रांक–WM-VI/F-122/2023-24/50 दिनांक–14.11.2023 एवं वित्त विभागीय पत्रांक–10729 दिनांक–05.12.2023

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में दिनांक–06.12.2023 को अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में बैठक संपन्न हुई। उक्त बैठक में हुए विमर्श के संदर्भ में TCS से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में प्रासंगिक पत्र का बिंदुवार उत्तर निम्नानुसार है :–

(i) सभी लेखा कोषागारों द्वारा ऑनलाइन समर्पित किया जाता है। उन विपत्रों में जब भी महालेखाकार कार्यालय द्वारा Review Not Ok किया जाता है तब उसमें सुधार संबंधित कार्यालयों द्वारा किया जाता है और HoA में सुधार कोषागार स्तर पर हो सकता है। CFMS 2.0 में प्रमाणक और HoAसे संबंधित सुधार कार्यालयों द्वारा ही किया जाना है।

(ii) मात्र कोषागार के स्तर पर CFMS 1.0 में HoA Correction उपलब्ध है। CFMS 2.0 में संबंधित कार्यालयों को भी इसके लिए अनुमति दिया जायेगा।

(iii) महालेखाकार कार्यालय द्वारा की गयी सभी आपत्तियाँ कोषागार के स्तर पर उपलब्ध है। साथ ही प्रमाणकों में सुधार की आवश्यकता के क्रम में आपत्तियों का विवरण कार्यालय स्तर पर देखे जाने के लिए उपलब्ध है। कोई विशिष्ट डाटा प्रदर्शित नहीं होने की स्थिति में उसका उदाहरण साझा किया जाना चाहिए।

(iv) BT Mapping में HoA Recovery Super admin में उपलब्ध है। वित्त विभाग से अनुरोध किये जाने पर Missing Recovery Head का Mapping किया जा सकता है।

(v) वित्त विभाग द्वारा CFMS के updated version हेतु ससमय प्रशिक्षण–सह–कार्यशाला आयोजित की जायेगी।

(vi) इस बिंदु में उठाये गये मुद्दों को महालेखाकार कार्यालय द्वारा और स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

(vii) जब भी विपत्र तैयार किये जाते है (UC/DC को छोड़कर), Attachment 1MB अधिकतम 50 Sub Vouchers (प्रत्येक उप वाउचर्स के लिए 10 पंक्तियाँ स्वीकृत) के लिए अनुमानित है। UC/DC विपत्र तैयार किये जाने के लिए Attachment 5MB अधिकतम 50 Sub Vouchers (प्रत्येक उप वाउचर्स के लिए 10 पंक्तियाँ स्वीकृत) के लिए अनुमानित है।

(viii) आवश्यकता के आलोक में वित्त विभाग द्वारा कार्रवाई की जायेगी।

विश्वासभाजन,
26/12/2023
(अजय कुमार ठाकुर)
संयुक्त आयुक्त ।

A.G.B. 27 DEC 2023 PATNA

1454410
28/12/23

268

दूरभाष/Telephone-2223251,
2225766, 2224812

सत्यमेव जयते

फैक्स / Fax-0612-2225977
तार / Telegram: ACCOUNTS

महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA

पत्रांक:- WM-VI/F-122/2023-24/50
दिनांक:-14/11/2023

सेवा में,

विशेष सचिव,
वित्त विभाग, बिहार सरकार,
बिहार पटना, पटना 800015 ।

विषय:- CFMS Module में लेखांकन प्रक्रिया सुदृढ़ करने के संबंध में ।

प्रसंग:- विभिन्न प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी संवर्ग के पत्रांक, इस कार्यालय का पत्रांक 118 दिनांक 23/02/2023।

महाशय,

Voucher Review के दौरान लगाए जाने वाले आपत्ति की सूची आपके द्वारा मांग पर प्रेषित की गयी थी साथ ही प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी संवर्ग द्वारा कुछ मंतव्य दिया गया है, जो निम्न है –

1. प्रमंडल से Monthly Account नहीं जाने के कारण प्रमंडल स्तर पर offline त्रुटि नहीं दिख पाना । Monthly Account बनाते समय विपत्र /लेखा/ अन्यन त्रुटियों पता चलते ही उसका निराकारण की कार्यवाई कर उसे निराकृत कर लिया जाता था । CFMS की व्यवस्था में प्रमंडलीय मासिक लेखांकन पद्धति समाप्त कर, कोषागार द्वारा मासिक लेखांकन व्यवस्था किया गया परंतु AG Bihar से विपत्र पर Objection किए जाने पर उसका सुधार की व्यवस्था प्रमंडल स्तर से ही होना चाहिए ।
2. Transfer Entry की व्ययवस्था CFMS में नहीं रहने के कारण शीर्ष / राशि / अन्यान का त्रुटि का निराकरण नहीं हो पा रहा है ।
3. वर्तमान में यह हो रहा है की AG Patna द्वारा विपत्रों पर लगाया गया objection, संबंधित पर नहीं दिखता है जिस कारण विपत्र के Objection, संबन्धित Treasury में दिखता है लेकिन वह Objection प्रमंडल के Maker / Checker / Approver के logging पर नहीं दिखता है जिस कारण विपत्र के Objection को तुरंत निष्पादन करने में देरी होती है ।
4. विपत्र से Recovery रहने पर CFMS में सभी कटौतियों का BT शीर्ष नहीं दिखता है । उचित Recovery BT नहीं रहने के कारण विपत्र पारित / समायोजन में CFMS में समस्या बनी रहती है ।
5. CFMS के Updated Version पर कार्य करने एवं अद्धतन/ नवीनतम नियमों/विनियमों पर जानकारी हेतु प्रशिक्षण सह कार्य–शाला Maker / Checker / Approver के लिए आयोजित किया जाय ।
6. जिस शीर्ष में विकलन किया जाता है उसी शीर्ष में समायोजन की राशि को आकलन किया जाना – इस बिन्दु में निहित समायोजन की अपेक्षित वयवस्था का प्रावधान CFMS Module में प्रमंडल स्तर पर अभी तक उलब्ध नहीं है ।

7. 1 MB तक के मात्र 10 अनुलग्नक ही CFMS पर विपत्र के साथ upload किया जा सकता है।
8. एकरूपता के लिए विहित पत्र जारी किया जाये ।

पत्रों के अवलोकन से स्पष्ट होता है की वरीय प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी / प्रमंडलीय लेखा पदाधिकारी के द्वारा पत्र में वर्णित उपर्युक्त सभी त्रुटियों के कारण लेखांकन प्रक्रिया में काफी कठिनाइयाँ उत्पान्न होती है जिससे लेखांकन में उलझन, त्रुटियाँ आदि की प्रवल संभावना बनी रहती है या त्रुटियों के समाधान हेतु विलंब होता है । साथ ही यह भी प्रतीत होता है कि बहुत सारे कागजातों / दस्तावेजों को CFMS पर प्रमंडल द्वारा तो डाला जाता है परंतु महालेखाकर के CFMS portal AG analysis में प्रलक्षित नहीं होता है तथा महालेखाकर एवं प्रमंडल के बीच में मासिक लेखा / वाउचर Review के कार्य में त्रुटियों के निराकरण हेतु संवादहीनता (communication gap) उत्पन्न होता है । यह भी कहना उचित होगा की भविष्य में लेखांकण में बहुत बड़ी गड़बड़ी होने की प्रबल संभावना है । इस संबंध में पूर्व में भी वित्त विभाग को पत्र के माध्यम से समय समय पर अवगत कराया जा चुका है।

अतः अनुरोध है कि CAG of India के द्वारा निर्धारित लेखा प्रक्रिया अनुसार electronic माध्यम से लेखा प्रेषित करने की वयवस्था CFMS Portal पर किया जाये ।

भवदीय,

उप महालेखाकार (कार्य)

209

दूरभाष/Telephone-2223251
2225766, 2224812

फैक्स /Fax – 0612-2221056
तार/Tele | Gram : ACCOUNTS

महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, बिहार, पटना

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA

Letter No. WM-2/23-24/235
Date:- 15.05.2023

सेवा में,

सभी प्रमंडलीय लेखाकार/प्रमंडलीय लेखा
अधिकारी/ वरिष्ट प्रमंडलीय लेखा अधिकारी,
बिहार।

विषयः- प्रमंडल से समप्रेषित प्रमाणको एवं अन्य प्रपत्र में त्रुटि के संबंध में।

प्रसंगः- बिहार वित्त विभाग के पत्रांक को-प्र0/ सि0 ले0-01/2023-3812, दि0- 02.05.2023

महाशय,

प्रासंगिक पत्र में उल्लेख किया गया है कि महालेखाकार कार्यालय से पदस्थापित प्रमंडलीय लेखाकार/प्रमंडलीय लेखा अधिकारी/वरिष्ट प्रमंडलीय लेखा अधिकारी द्वारा प्रमंडल में प्रमाणको को पारित करते समय प्रारंभिक जाँच किया जाता है फिर भी महालेखाकार कार्यालय स्तर से विभिन्य प्रकार की आपत्ति (प्रति संलग्न) की जाती है। जिसके कारण लगभग रु 10925.91 करोड़ की राशि O.B. Book में उचन्त शीर्ष के अर्न्तगत असामायोजित है। जिसमें लगभग 89.90% (प्रतिशत) प्रमाणक कार्य प्रमंडलो से ही संबंधित है। जिसके संबंध में इस कार्यालय के स्तर से प्रमंडलीय अधिकारीयों द्वारा कर्तव्य निर्बहन में हुई त्रुटि की विस्तृत जाँच की जानी है।

अतः सभी प्रमंडलीय लेखा संवर्ग के अधिकारीयों को निर्देशित किया जाता है कि यह सूचित करे की क्या संलग्न अनुसूची का अनुपालन सत-प्रतिशत किया जा रहा है या CFMS प्रणाली में अनुसूची के अनुसार दिए गए बिन्दुओं के अनुपालन में किसी प्रकार की कठिनाई है। तथ्य संबधित प्रतिवेदन एक सप्ताह के अन्दर मंतव्य के साथ अवगत कराई जाए।

भवदीय

[signature]

वरिष्ठ लेखा अधिकारी
बिहार, पटना

ज्ञापांकः- दि0-

प्रतिलिपि :-

विशेष सचिव
वित्त विभाग, बिहार सरकार
पटना, पिन-800015

वरिष्ठ लेखा अधिकारी
बिहार, पटना

Com-42(S) other